कार्यालय आदेश

विधायक निधि के अन्तर्गत श्री फकीर राम टम्टा जी, मा० विधायक, विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के सापेक्ष संस्तुत एवं मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को निम्नांकित उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त की जाती है।

1 कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत प्रसारित मार्गनिर्देशों/मानकों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

2 इस धनराशि को उपयोग किसी अन्य योजना में किये जाने पर विभाग की अनियमितता होगी तथा विभाग को उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3 क– मा०लोकायुक्त के शासनादेश स0 537/xl/07/51(01) 2007/ग्राम विकास अनुभाग/देहरादून दिनांक 23 जुलाई 2007 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य को Detail Estimate बने जिसमें Detail Drawing and Specification अंकित हो तथा उस पर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के हस्ताक्षर हो, और तदपश्चात कार्य उसके अनुसार शत– प्रतिशत किया जाये। यदि कोई Variation(भिन्नता) हो तो सक्षम अधिकारी से Variation Statement तैयार कर Variation के कारण का औचित्य देते हुए Variation की स्वीकृत ली जाय। अंकित बिल के भुगतान से पहले Variation Statement की स्वीकृति एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु गठित टीम द्वारा गुणवत्ता की जांच हो, तदुपरांत भुगतान किया जाय।

4 ख– निर्माण कार्य हेतु टोली नायक उसी व्यक्ति को बनाया जाय, जिसे इस संबंध मे पर्याप्त अनुभव हों, साथ ही निर्माण कार्यों का समय–समय पर तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाय।

5 ग– सभी निर्माण कार्यों की ड्राईंग स्वीकृत होनी चाहिए तथा मा0 विधायक से भी उक्त ड्राइंग पर सहमति ली जानी चाहिए एवं उक्त स्वीकृत ड्राईंग के अनुसार ही कार्य पूर्ण होने चाहिए साथ ही निर्माण सम्बन्धी मानक निर्धरित कर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा योजना यदि व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।

7 इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिये कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजि न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यार्पित की गई है उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वधिकर होना चहिए। जिला प्राधिकारियों को यथाशीघ्र सुनिश्चित करना होग कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पित नियमों के अन्तर्गत हो जिस अभ्यर्पित/स्थानान्तरित भूमि का अर्भ्यपण किया गया हो अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार भूमि अर्भ्यपण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति का तब तक पर्याप्त समझा है जब तक अर्भ्यपण कानूनी वैधता प्राप्त करे, साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण कार्य किया गया है।

8 इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के निए आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्तावित कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय।

9 स्वीकृति धनराशि से जो निर्माण कार्य किया जायेगा उसकी अवमुक्त धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी
(प्रथम त्रैमासिक में 35 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमासिक में 15 प्रतिशत तृतीय त्रैमासिक में 25 प्रतिशत, चतुर्थ त्रैमासिक 15 प्रतिशत)

10 स्वीकृत कार्य का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिसमें मा0 विधायक का नाम,योजना की लागत, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि स्वीकृति का वर्ष अवश्य अंकित किया।

11 योजना को पूर्ण करते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभाग/ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करेगी जिसका उल्लेख कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मे किया जायेगा । इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना प्रतिमाह 20 तारिख से पूर्व नियमित रूप से जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाय।

12 प्रमुख सचिव महोदया, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रसंख्या 2023/xl/17/56(21) (2007)दिनांक 5.12.2017द्वारा निर्गत विधायक नधि के संशोधित मार्ग निर्देशिका के बिन्दु संख्या–2.2 के अनुसार जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं, विधायक निधि के कार्यो के लिए निजी ठेकेदारों को लगाया जा सकता है लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारों के चरित्र/सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय मे पंजीकृत किया जायेगा।

13 इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यो के रख–रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा संबद्ध अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

14 सामग्री के कय के लिये वित्तीय नियमों तथा स्टोर पर्चेज रूल्स एवं उत्तराखण्ड अधिप्रादित नियमावली 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाय।

15 इस योजनान्तर्गत चयनित कार्य एवं स्थान को मा0 विधायक जी सहमति के बिना एवं मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

16 निम्न निर्माण कार्य तीन महिने के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।

17 विधायक निधि योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर वित्तीय नियामों बजट मैनुवल और लेखा परिक्षण सम्बन्धी प्रकियाए मार्गदर्शी सिद्धान्तों एव शासन द्वारा जारी तदविषयक शासनादेशों को पालन किया जाय।

18 इस निधि के अधीन बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात विभागीय पद्धति(मस्ट्रोल) कार्यादेश के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) रहेगी।
विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष के दो माह (अप्रेल, मई) के अन्दर किया जायेगा

19 विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः वापस की जायेगी।

20 विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का भुगतान इस स्तर से नहीं किया जायेगा।
योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि का भुगतान इस स्तर से नहीं किया जायेगा।

21 इस निधि के अन्तर्गत कार्य की लागत से कम व्यय होने पर बचत की धनराशि किसी औचित्यपूर्ण कारण से अप्रयुक्त धनराशि तथ ब्याज की धनराशि को प्रत्येक दशा मे राजकोष मे जमा किया जाना होगा।

22 निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों मे निर्धारित प्रकिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही हैं।

23 विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु MIS एव Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।

D:\109\Vidhayak Nidhi 2024-25\6 Letter of Fund Release.docx

Scanned with CamScanner

24 योजनान्तर्गत किये गये समस्त कार्यों का सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।

25 मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की कार्यकारिणी को इस प्रतिबन्ध के साथ कि कार्य का आगणन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

26 व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेंट रूल्स 2008 एवं 2017 तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

27 शासन स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में जी०एस०टी०/टी०डी०एस० करों की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित की जायें।

28 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्तपोषित हैं कि लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है यथा सम्भव अपने स्तर से ही सूचना उपलब्ध करा सकें।

29 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की मध्य एवं योजना पूर्ण होने पर तीनों स्तरों की फोटोग्राफस लिया जाय।

30 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माणधीन योजना वन भूमि न हो एव स्वामित्व विवाद न हो।

31 यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संदर्भित योजना जल जीवन मिशन या अन्य विभाग द्वारा निर्मित न की जा रही हो।

32 विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार का क्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सोलर लाईट क्रय में गुणवत्ता/रख–रखाव इत्यादि उरेडा विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

संलग्न– योजना का विवरण।

कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को धनराशि अवमुक्त

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रथम किस्त अवमुक्त लाख रू0 में
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत सारतोला सार्वजनिक मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.125
2	ग्राम पंचायत पासदेव सार्वजनिक मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
3	ग्राम पंचायत नायल सार्वजनिक स्थल में टिन शैड निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.500
4	ग्राम पंचायत रूगड़ी के तोक कोली में सी0सी0/खण्डजा निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
5	ग्राम पंचायत टुपरोली के तोक नैकाणा मे कालसन मेला स्थल विकास कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.750
6	ग्राम पंचायत धारी धुमलकोट के तोक गोहताड़ी में मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
7	ग्राम पंचायत नायल के तल्लीनायल में सार्वजनिक स्थल मे लोहारबाड़ा निर्माण कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.750
8	ग्राम पंचायत धपना में कालसिन मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
[illegible]	ग्राम बसेडा में सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण कार्य	अ0जा0	2024-25	1.20	1.20	0.900
10	ग्राम पंचायत कुनल्ता में सार्वजनिक स्थल में मेला स्थल का अवशेष कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.750
11	ग्राम पंचायत सिमाली तोक भिड़काना में पेयजल मरम्मत कार्य	सामान्य	2024-25	0.50	0.50	0.375
12	ग्राम पंचायत बनकोट में सार्वजनिक मेला स्थल व पेयजल मरम्मत कार्य	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.500
13	ग्राम रामपुर में पेयजल टैंक मरम्मत कार्य	सामान्य	2024-25	0.30	0.30	0.225
14	ग्राम भनोलीसेरा में सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	0.25	0.25	0.1875
15	गणाई मे नौला का नवनिर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
16	ग्राम पंचायत भट्टीगांव मे धर्मशाला का अवशेष कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750

D:\109\Vidhayak Nidhi 2024-25\6 Letter of Fund Release.docx

Scanned with CamScanner

17	ग्राम पंचायत बटगेरी में सप्तेश्वर तक पेयजल अवशेष मरम्मत कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.750
18	ज्योलियाखेत के गधेरे में पुलिया निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.125
19	ग्राम पंचायत जमतोला के तोक तालसिमोली में सार्वजनिक स्थल सौन्दर्यीकरण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
20	गणाई मे कुपोला मे नौला का मरम्मत कार्य	अ0जा0	2024-25	0.75	0.75	0.563
	योग			21.00	21.00	15.75

ह0/-
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़

पत्रांक 2051 /33–विधायक निधि/2024–25, दिनांक 07-12-2024 ।

प्रतिलिपिः–

1 **खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट** को संलग्न कार्य के कियान्वयन हेतु कोषागार से वर्तमान में उक्त चैक/बिल से प्रेषित धनराशि आपके खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। कृपया धनराशि प्राप्ति का खाते से मिलान करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 **15,75,000/–** **(पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र)** से संलग्न कार्यों का निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाना है कि उक्त धनराशि का व्यय विधायक निधि के मानको एवं उक्त प्रतिबन्धों के अनुसार किया जा सकता है। धनराशि की प्राप्ति रसीद अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 20 ता0 तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा एवं उपभोग के उपरान्त प्रमाण–पत्र मय फोटोग्राफस अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा।

2 मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

3 श्री फकीर राम टम्टा जी, मा0 विधायक, वि0स0 क्षेत्र गंगोलीहाट के अवलोकनार्थ।

जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ।

Scanned with CamScanner